**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 378

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**संस्थानों में विदेशी छात्र और संकाय सदस्य**

**378. श्री रीताब्रता बनर्जीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश के निजी और सरकारी संस्थानों में विदेशी छात्रों और संकाय सदस्यों का प्रतिशत कितना-कितना है;

(ख) सरकार द्वारा विशेषरूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की योजना है;

(ग) सरकार किस प्रकार विदेशी संकाय सदस्यों को प्रतिस्पर्धी वेतन देने का विचार रखती है जबकि भारत की कुछ उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालय प्राध्यापकों और कर्मचारियों ने अपर्याप्त वेतन और समय से वेतन न मिलने की शिकायत की है; और

(घ) क्या यह योजना मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकायों पर भी लागू है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए अखिल भारतीय उच्‍चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 0.126 प्रतिशत विदेशी छात्र हैं। केन्‍द्र द्वारा विदेशी संकाय सदस्‍यों के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ): भारत सरकार ने देश में विदेशी विद्यार्थियों और संकाय की संख्‍या बढ़ाने के लिए विभिन्‍न उपाय किए हैं। इस संबंध में भारत में अध्‍ययन कार्यक्रम की शुरूआत 2018 में की गई थी जिसके तहत भारत के उच्चतर शैक्षिक संस्‍थानों में विदेशी छात्रों की संख्‍या में वृद्धि करना है। योजना के तहत एक केन्‍द्रीकृत एडमिशन पोर्टल है और इसमें चयनित छात्रों को शुल्‍क में 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक छूट देने का प्रस्‍ताव किया जाता है। वर्ष 2018-19 में पहले चरण में विभिन्‍न संस्‍थानों में 5000 से ज्‍यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

स्‍कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अकादमिक एण्‍ड रिसर्च कोलाब्रेशन (स्‍पार्क), जिसका उद्देश्‍य भारत के शीर्ष रैंक प्राप्‍त संस्‍थाओं और विश्‍व के 28 चयनित देशों के सर्वोत्‍तम संस्‍थाओं के मध्‍य शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देकर भारत की उच्‍चतर शैक्षिक संस्थाओं के अनुसंधान कार्य प्रणाली में सुधार करना है। इसमें यह दीर्घकालीन अनुसंधान और शिक्षण गतिविधियों हेतु विद्यार्थियों/संकाय की गतिशीलता शामिल है। स्‍पार्क के तहत, इस संयुक्‍त अनुसंधान परियोजना में भागीदारी के लिए विदेशी छात्रों और संकाय सदस्‍यों को उपयुक्‍त प्रोत्‍साहन प्रदान किया जाता है। विस्तृत विवरण <https://sparc.iitkgp.ac.in> पर प्राप्‍त किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्‍त 30 नवंबर, 2015 को ग्‍लोबल इनिशिएटिव ऑफ अकादमिक नेटवर्क (ज्ञान) का शुभारंभ किया गया और यह बेहद सफल रहा। इस कार्यक्रम के तहत सम्‍पूर्ण विश्‍व के प्रमुख संस्‍थाओं के प्रख्‍यात शिक्षाविदों को अल्‍प अवधि, मध्‍यम अवधि और सेमेस्टर पाठ्यक्रम हेतु भारतीय संस्‍थाओं में आमंत्रित किया जाता है। ज्ञान के तहत विदेशी संकाय सदस्‍यों को उपयुक्‍त पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाता है। अब तक 1800 से अधिक पाठ्यक्रमों को इस कार्यक्रम के तहत अनुमोदित किया जा चुका है जिसमें 50 से अधिक देशों के प्रतिष्‍ठित संकायों ने भागीदारी की है। इससे संबंधित ब्‍यौरा https://gian.iitkgp.ac.in पर प्राप्‍त किया जा सकता है।

हाल ही में, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 76 शैक्षिक संस्‍थाओं (26.07.2018 के आंकड़े के अनुसार) को स्‍वायत्‍ता की स्‍वीकृति दी है जिससे उच्‍च शैक्षिक मानक बने रहे हैं। यूजीसी ने विश्‍वविद्यालयों को तीन श्रेणी में बांटा है: श्रेणी-।, श्रेणी-।। और श्रेणी-।।।. यूजीसी के अनुमोदन के बिना श्रेणी-। और श्रेणी-।। के तहत आने वाले विश्‍वविद्यालय, विदेशी संकाय को ज्‍यादा तक पारिश्रमिक दे कर रख सकते हैं और उनकी स्‍वीकृत संकाय संख्‍या से 20 प्रतिशत ज्‍यादा बढ़ा सकते है। ये संस्‍थान विदेशी विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश देने के लिए स्‍वतंत्र होंगे जोकि घरेलू विद्यार्थियों की अनुमोदित संख्‍या से अधिकतम 20 प्रतिशत ज्‍यादा के अध्‍यधीन होंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में 6 संस्‍थाओं को राष्‍ट्रीय उत्‍कृष्‍ट संस्‍थान का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रवेश पाए विद्यार्थियों का 30 प्रतिशत तक विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देना, संकाय संख्‍या का 25 प्रतिशत तक विदेशी संकाय की भर्ती करना, बिना प्रतिबंध के विदेशी छात्रों की फीस प्रभारित और वसूल करना, डिग्री प्राप्‍त करने में क्रेडिट घंटों और वर्षों के रूप में पाठ्यक्रम संरचना लचीलापन, पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम आदि को निश्चित करने में पूर्ण लचीलापन को शामिल करते हुए अधिक स्‍वायत्‍तता देने का प्रवधान किया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान (आईआईटी) गुणवत्तापूर्ण संकाय लाने के लिए विभिन्‍न उपाय कर रहे हैं जिसके तहत वर्ष भर ओपन विज्ञापन करना, पुराने छात्रों/वैज्ञानिकों/संकायों को खोज-सह-चयन प्रक्रिया के माध्‍यम से आमंत्रित करना, अंतर्राष्‍ट्रीय जर्नल्‍स मे विज्ञापन देना और एनआरआई तथा ओसीआई को नियमित संकाय के लिए लागू शर्तों पर संकाय पदों की तरह समान अवधि के लिए नियुक्‍त करना शामिल है।

आईआईटी में विदेशी विद्यार्थियो को आकर्षित करने के लिए विदेश के छ: केन्‍द्रों आदिस अबाबा (इथोपिया), काठमाण्‍डू (नेपाल), सिंगापुर, दुबई (संयुक्‍त अरब अमीरात), ढ़ाका (बंगलादेश) और कोलंबो (श्रीलंका) में संयुक्‍त प्रवेश परीक्षा, जेईई (एडवांस्‍ड) परीक्षा आयोजित की जा रही है। विदेशी छात्रों के लिए उपलब्‍ध अधिसंख्‍य सीटें प्रत्‍येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों की संख्‍या का अधिकतम 10 प्रतिशत तक उपलब्‍ध है जिन्‍हें जेईई (मेन) परीक्षा में शामिल हुए बिना सीधे तौर पर जेईई (एडवांस्‍ड) में शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसी तरह आईआईटी और अन्‍य केन्‍द्रीय निधि प्राप्‍त प्रौद्योगिकी संस्‍थानों में एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ग्रेजुएट एप्‍टी‍ट्यूड टेस्‍ट फॉर इंजीनियरिंग (गेट) प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी इन विदेशी केन्‍द्रों पर आयोजित किया जा रहा है।

यूजीसी द्वारा शैक्षिक संस्‍थानों में विदेशी संकाय सदस्‍यों की भर्ती के सबंध में अलग से कोई विनियम अधिसूचित नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने विदेशी विद्यार्थियों और विदेशी संकायों को लाने के लिए विभिन्‍न उपाय किए हैं।

स्‍पार्क, ज्ञान और स्‍टडी इन इंडिया के तहत मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों के आयाम भी शामिल हैं।

**\*\*\*\*\***